



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर  
MARATHAHALLI COLONY P.O.  
BANGALORE - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं./Type Approval No.981**

मद/For Item : रबड कम्पाउंड, फ्लुरोसिलिकॉन ग्रेड 60  
**Rubber Compound, Fluorosilicone Grade 60**

यह प्रमाणित किया जाता है कि एरोनॉटिकल डेवलवमेन्ट एजेन्सी के सहयोग से मेसर्स बेंगलोर रबड इंडस्ट्रीज, सी-26, इंडस्ट्रियल इस्टेट, राजाजीनगर, बेंगलोर - 560044 द्वारा विकसित तथा उत्पादित "रबड कम्पाउंड" फ्लुरोसिलिकॉन ग्रेड 60 जो कि एरोनॉटिकल अप्लिकेशन के रबड पार्ट्स के फ़ैब्रिकेशन में काम आता हैं, उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.ए(एफ एण्ड एफ), रअविसं, विमानपुरा पो.आ, बेंगलोर-17 के समन्वय से टेस्ट शेड्यूल सं.एडीए/जीएस/आरयूबी/एम25988/001 इश्यू सं.1 दिनांक 24/05/02 के अनुसार परीक्षित किया गया। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न "टाइप रेकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेन्ट" की विवरण/परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।

This is to certify that the "Rubber Compound Fluorosilicone Grade 60" developed and manufactured by M/s Bangalore Rubber Industries, C-26, Industrial Estate, Rajajinagar, Bangalore 560 044 in association with Aeronautical Development Agency is hereby approved for production for use in the fabrication of rubber parts used in aeronautical applications. It has been tested, as per governing Specification/Test schedule No. ADA/GS/RUB/M25988/001 ISSUE No.1 dated 24/05/02 in co-ordination with RCMA(F&F), DRDO, Vimanapura P. O, Bangalore-17. It has met the requirements of specification/tests, as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix-'A'.

पृष्ठ/Page 1 of 2

2. ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीस नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये

*The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है।

*This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.*

4. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2007 तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(एफ एण्ड एफ) से अनुरोध करना होगा।

*This Type Approval is valid up to 31<sup>st</sup> Dec 2007 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA(F&F) for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.*

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेन्ट में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बेंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

*Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record Compliance Statement enclosed are effected.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 981

दिनांक/Date : 18 जनवरी 2007

फेक्स सं/Fax No: 080-5230856

*J.K. Sharma*  
(जे.के.शर्मा/J.K.SHARMA)  
मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/  
Chief Executive(Airworthiness)

*12/1/07* *12/1/07* *16/1/07*